संख्या-1/2020/2352/छप्पन-2019-153/2000

प्रेषक,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन
उ0प्र0 लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 07 जनवरी, 2020

विषय: राजकीय बेल 412 वीटी-यू0पी0ओ0 हेलीकाप्टर के AFCU (Automatic fuel control Unit), Part no. 3244883-12, sl. No. D43613 and Fuel oil Heater, part no. 10544G, sl. No. WA30561 का ओवर हॉल कराए जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 571/CADUP/ENG(PUR)/B-8/2019 दिनांक 05 दिसम्बर, 2019 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- आपके सन्दर्भगत पत्र में अवगत कराया गया है कि राजकीय बेल 412 वीटी-यू0पी0ओ0 हेलीकाप्टर से निकाले गए (1) Automatic fuel control Unit (AFCU), (part no. 3244883-12, sl. no. D43613) एवं (2) Fuel oil Heater, (part no. 10544G, sl. No. WA30561) का Serviceable Condition में नागरिक उड्डयन निदेशालय में उपलब्धता बनाए रखना नितांत आवश्यक है। अत: इन कम्पोनेंट्स के ओवरहॉल कार्य को इंजिन निर्माता अधिष्ठान M/s Prat & Whitney Components Solution, U.S.A. से कराए जाने हेतु ई-मेल कोटेशन 03.11.2019 के अनुसार (1) Automatic fuel control Unit (AFCU) Qty. 01 का ओवरहॉल कराए जाने हेतु यू.एस. डॉलर-20,793.30 तथा (2) Fuel oil Heater Qty. 01 का ओवरहॉल कराए जाने हेतु यू.एस. डॉलर-1,365.90 अर्थात दोनों का कुल योग यू.एस. डॉलर-22159.20 जो कि भारतीय मुद्रा में रूपए 74/- प्रति यू0एस0 डॉलर की विनिमय दर से रूपए 16,39,781/- (रूपए सोलह लाख उनतालिस हजार सात सौ इक्यासी मात्र) की धनराशि व्यय हेतु अवमुक्त की जानी है। अत: श्री राज्यपाल राजकीय बेल 412 वीटी-यू0पी0ओ0 हेलीकाप्टर के AFCU (Automatic fuel control Unit), part no. 3244883-12, sl. No. D43613 and fuel oil Heater, Part no. 10544G, sl. No. WA30561 का ओवर हॉल कराए जाने हेतु कुल रूपए 16,39,781/-(रूपए सोलह लाख उनतालिस हजार सात सौ इक्यासी मात्र) को व्यय/अवमुक्त किए जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उक्त दोनों कम्पोनेन्ट्स का ओवरहाल वर्तमान संगत नियमों के अन्तर्गत कराया जायेगा तथा शासन का हित सुरक्षित रखने की दृष्टि से आहरित धनराशि के भुगतान के लिये निर्धारित नियमों/आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

4- वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गई व्यवस्था के अनुसार उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण, भुगतान एवं समायोजन में किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 एवं सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

5- उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान फर्म को करने के उपरान्त स्वीकृत धनराशि के समायोजन की स्थिति से यथासमय शासन को अवगत कराया जाएगा। निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्तीय वर्ष में स्वीकृत समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अवश्य कर लिया जाएगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुए महालेखाकार के पुस्तांकित आंकड़ो में भी समायोजन करा दिया जाए।

6- उक्त अग्रिम का आहरण वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-2774/दस-15-1(1)/69 दिनांक 25/10/1983, शा0 सं0 ए-1-235/दस-2011-15-1(1)/69 दिनांक 10/06/2011 एवं शासनादेश संख्या-12/2017/ए-1-873/दस-2017-15/1(1) दिनांक 18/09/2017 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगा।

7- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या- 38 के अधीन पूँजीगत ''लेखा लेखाशीर्षक - 5053-नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-04-हेलीकाप्टर/वायुयान की विशेष मरम्मत-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या- ई-7-1048 /दस-2019 दिनांक 06 जनवरी, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

संख्या: 1/2020/2352(1)/छप्पन-2019-तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) उप महालेखाकार/ई0एस0-III, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर लखनऊ-10
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।